

2-
24/3/26

28/04/26

पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपक्ष अनुपस्थित।
स्वयं अभयपक्ष पक्षकार अनुपस्थित। तीन बार
रुक-रुक कर आवाज नगई लेकिन कोई भी
उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली अन्वर्गत
0928 CPC अधिनियम दायरी अधिनियम पेशी में
स्वारेज की जाती है। पत्रावली केवल अमा
दोकर नम्बर से कम होकर बाद तारीख
दालिखत दफ्तार हो।



[Signature]
28/4/26

उपखण्ड अधिकारी
पिंपरी, जिल्हा न्यायालय (राज.)